

By Speed Post

F. No.A-12018/01/2019-EPI

भारत सरकार/ Government of India

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/ Ministry of Health & Family Welfare

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ Directorate General of Health Services

ई पी आई अनुभाग/ EPI Section

निर्माण भवन, नई दिल्ली/Nirman Bhawan, New Delhi

दिनांक/ Dated: 26th February, 2021

To

निदेशक,

Director,

बी. सी जी. वैकसीन प्रयोगशाला

BCG Vaccine Laboratory,

गिण्डी, चैन्नई-600032

Guindy, Chennai - 600032



Sub: Recruitment Rules 2021 for the post of Assistant Technical Officer in Level -6, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial at BCGVL, Chennai - reg.

Sir,

Please find herewith a copy of Notification of Recruitment Rules 2021 for the post of Assistant Technical Officer in Level - 6 at BCGVL, Chennai published in Part II, Section 3, Sub-section (i) on 13.02.2021 vide G.S.R. 12 dated 04.02.2021 in the Official Gazette for information and necessary action. This notification is also available on the website of GOI Press "Gazette of India".

Encl: As above

Yours faithfully,

(R S Nautiyal)

Consultant/ DD

State 2: Period of Deputation including Short Term Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation including Short Term Contract shall Not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A-12018/11/2016-EPI]
G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

सा. का. नि. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, सहायक तकनीकी अधिकारी, भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, सहायक तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.— वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक तकनीकी अधिकारी	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आयु - लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं— लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: तकनीकी पर्यवेक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्म जीवविज्ञान या जीव रसायन विज्ञान या जैवप्रविधि या प्रतिरक्षा विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव-प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक हो और विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक(जन स्वास्थ्य) - अध्यक्ष; (2) निदेशक(प्रतिरक्षण पर विस्तृत कार्यक्रम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई-सदस्य; (4) उप निदेशक (प्रशासन) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>पूरा किया हो। टिप्पण 1:पोषक प्रवर्ग के ऐसे वर्तमान नियमित पदधारी,अर्थात तकनीकी पर्यवेक्षक, जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में विज्ञान से स्नातक की डिग्री, इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को रखते हों, भी प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र होंगे। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्राप्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप महानिदेशक (जन स्वास्थ्य) - अध्यक्ष; (2) निदेशक (प्रतिरक्षण पर विस्तृत कार्यक्रम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3)निदेशक, वीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (4) उप निदेशक(प्रशासन) - सदस्य।</p>	
---	---	--

[फा. सं.ए-12018/01/2019 -ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 4th February, 2021

G.S.R. 12 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Assistant Technical Officer. Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Technical Officer, in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Ministry of health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Assistant Technical Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No persons,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Technical Officer	2* (2021) *Subject variation dependent workload to on	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Age-Not applicable Educational Qualification - Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Technical Supervisor with six years regular service in level-5 in the pay matrix (Rs 29,200-92,300) and having B. Sc. Degree in Microbiology or Biochemistry or Biotechnology or Immunology or Life Science or B. Tech in Biotechnology from a recognised University or institute and having two to four weeks mandatory training in the relevant field as proposed by the department.</p> <p>Note 1: The existing regular incumbents in the feeder grade i.e; technical supervisor possessing Bachelor of Science in any subject from recognised</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director General (Public Health) –Chairman; 2. Director, (Expanded Programme on Immunization), Directorate General of Health Services – Member; 3. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai – Member; 4. Deputy Director Administration – Member; <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director General (Public Health) – Chairman; 2. Director, (Expanded Programme on Immunization) Directorate General of Health Services –Member; 3. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Member; 4. Deputy Director Administration – Member; 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

University or institute on the date of notification of these rules shall also be eligible for consideration of promotion.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

[F. No. A-12018/01/2019-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.